राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

क्रमांक: एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2019/220 दिनांक :- 15-01-2020

सचिव,
प्रबंध समिति
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:– सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के निस्तारण के क्रम में अंतिम अवसर प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जिन निजी महाविद्यालयों को कमीपूर्ति मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण अनापत्ति पत्र जारी नही किया गया था, उन महाविद्यालयों को समय–समय पर कमीपूर्ति के अवसर दिये गए थे। उक्त सत्रों के टीएनओसी अभिवृद्धि / पीएनओसी हेतु लंबित प्रकरणों में छात्रहित के मद्देनजर कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा कराने की अन्तिम तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

क्रं. सं	प्रकरण	अन्तिम दिनांक
1	सत्र 2017–18 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	15.02.2020
2	सत्र 2018–19 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	15.02.2020
3	सत्र 2019–20 के टीएनओसी अभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	15.02.2020

1. सत्र 2017–18 से लंबित NOC प्रकरण में संस्था को कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017–18 से सत्र 2019–20 तक (तीनो सत्रो हेतु) नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 15.02.2020 तक जमा करवानी होगी।
2. सत्र 2018–19 से लंबित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में, सत्र 2018–19 से सत्र 2019–20 तक (दो सत्रो हेतु) नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 15.02.2020 तक जमा करवानी होगी।

उक्त महाविद्यालय कमीपूर्ति हेतु समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय में प्रस्तुत करें।

उक्त निर्धारित तिथि पश्चात कमीपूर्ति/शास्ति राशि जमा नही कराने वाली संस्था की संबंधित प्रकरण की एनओसी सत्र 2020–21 से क्रमिक रूप से निरस्त करने की कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यलय को भेजकर लेख है कि आपकी तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों द्वारा, सत्र 2017–18,2018–19 व 2019–2020 कें लंबित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, उन्हे प्रमाणित कर आयुक्तालय प्रेषित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(डॉ अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक,(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर